28/6/22 पत्रावली पेश हुयी। कोई भी उप० नहीं है। वादी व वादी वकील को बार-बार आवाज लगायी गई कोई भी उप० नहीं आये। पत्रावली में कोई भी उपस्थित नहीं आने से पत्रावली अदम पैरवी अदम पैरवी में खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल हुआ होकर नम्बर से कम है। वाद इति मूल वाद के साथ शामिल रहे।

उपखण्ड अधिकारी
बहरोड़ (अलवर) राज०